शिक्षक दिवस पर जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मु.मंत्री ने कई शिक्षकों को सम्मान पत्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। मु.मंत्री ने इस मौके पर नदबई निवासी अपने शिक्षक शंकरलाल शर्मा के भी पैर छुये तथा शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र भेंट करके उनका अभिनंदन किया। मु.मंत्री के साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे।

राजस्थान के विद्यालयों के क्रमोन्नयन में कमी नहीं होगी- भजनलाल शर्मा

राज्य सरकार के 55 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया

- जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
- मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु-शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय परम्परा में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है।

जयपुर, 5 सितंबर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, वे नव पीढ़ी में चरित्र-निर्माण की मजबूत नींव डाल कर सक्षम नागरिक रूपी भवन का निर्माण कर रहे हैं। उनकी शिक्षा-ज्ञान से ही मनुष्य विचारशील और करुणा व सहानुभूति के भाव से समृद्ध होता है और एक प्रगतिशील व समावेशी समाज बनाता है। मुख्यमंत्री गुरूवार को बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वापरि रहा है। शिक्षक प्रतिबद्धता और परिश्रम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं और समर्पण एवं निष्ठा से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए विद्यालय केवल अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से नहीं बल्कि शिक्षकों के अमूल्य ज्ञान से बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उनके असाधारण व्यक्तित्व एवं शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य संबंध की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने के क्रम में राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी से नवाजे जाने की परंपरा शुरू करने जा रही है।

समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा अपने शिक्षक शंकरलाल शर्मा को देखकर भावुक हो गए। वे मंच से उतरे, गुरु के चरण स्पर्श किए, उन्हें अपने निकट बैठाया एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने शिष्यों की सफलता के लिए अथक परिश्रम करते हैं। वे एक कुम्हार की तरह होते हैं जो मिट्टी को अपने अनुभव से गूंथता है और एक सुंदर प्रतिमा बनाता है। उनके समर्पण का कोई मोल नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव भी मंच से साझा किए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, लैब, पुस्तकालय, शौचालयों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये और 750 स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

साथ ही, हम स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलेगी।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेशभर में शिक्षकों द्वारा बेहतरीन काम किया जा रहा है। इस शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों के अच्छे परीक्षा परिणाम भी आए हैं। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेशभर में 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के क्रम में शिक्षा विभाग ने अकेले ही 2 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने 11 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए और शिक्षक सम्मान पुस्तिका एवं शिविरा का विमोचन भी किया। साथ ही, प्रदेशभर में 55 हजार 800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा शाला स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत शिक्षक भी समारोह से जुड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने मु.मंत्री केजरीवाल की रिहाई के संकेत दिये

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगया कि केजरीवाल को गिरफ्तारी सिर्फ जानबूझकर उन्हें जेल में रखने के लिए की गई है

- वकील सिंघवी ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को इस मामले में सी.बी.आई. की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया।
- सी.बी.आई. की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सिंघवी की दलीलों का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अगर कोई भी राहत दी जाती है तो यह हाई कोर्ट के सम्मान पर प्रतिकूल असर डालेगी।

नयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित सी.बी.आई. के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग के साथ ही गिरफ्तारी (सीबीआई की ओर से) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मु.मंत्री केजरीवाल की रिहाई के स्पष्ट संकेत दिये हैं।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बैंच ने याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की घंटों दलीलें ने सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया।

बैंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राजू ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अधिनस्थ अदालत को दरकिनार करने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।

इस पर केजरीवाल पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत आरोपी को नोटिस जारी करने के संबंध में वर्तमान याचिका में उठाए गए आधारों पर हिरासत के दौरान बहस की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से उसी मुद्दे पर वहां बहस करने के लिए वापस भेजना न्यायोचित नहीं होगा।

बैंच के समक्ष गुरुवार को सिंघवी ने कहा, शायद यह एकमात्र ऐसा मामला है, जिसमें मुझे (केजरीवाल) इस अदालत से सख्त धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दो रिहाई आदेश मिले, जिसमें धारा 45 का प्रतिबंध है। उच्च न्यायालय से एक और विस्तृत आदेश मिला। फिर सीबीआई द्वारा इस पहले से तय गिरफ्तारी हुई।

शीर्ष अदालत को सिंघवी ने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम 2022 में दर्ज मुकदमे में नहीं था और उन्हें इस साल जून में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा, तीन अदालती आदेश मेरे पक्ष में हैं। यह एक तय गिरफ्तारी है, ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लाखों दस्तावेज हैं, जिनमें से कई डिजिटल हैं। उनके मुवक्किल न्यायिक हिरासत में रहते हुए गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और इस मामले में पांच आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं।

उन्होंने दिल्ली अबकारी नीति मामले से संबंधित अन्य आरोपियों - दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद के कविता के जमानत आदेशों का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

सिंघवी ने आगे कहा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 41ए को 2010 में गिरफ्तारियों को विनियमित करने के लिए पेश किया गया था और इसका उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना किसी वैध आधार के किसी को गिरफ्तार न कर सकें।

दूसरी ओर राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने पहले सत्र न्यायालय में गुहार लगाने के सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने कहा, यह मेरी प्रारंभिक आपत्ति है। गुण-दोष के आधार पर अधिनस्थ अदालत को पहले इस पर विचार करना चाहिए था।

उच्च न्यायालय को गुण-दोष देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में पहले सत्र न्यायालय का रुख करना पड़ता है। वे (केजरीवाल) यहां आए और फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया और फिर वे फिर से शीर्ष अदालत आए।

'सेबी चेयरमैन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनेक फोन-कॉल आते हैं तथा वे पूछते हैं, "मार्केट रेग्यूलेटर की स्थिति अब कैसी है? क्या हम भारत के सिक्योरिटीज मार्केट पर भरोसा कर सकते हैं? मार्केट रेग्यूलेटर की ईमानदारी को लेकर क्या चल रहा है?

चक्रवर्ती ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस देश के स्टॉक मार्केट को बहुत मजबूत एवं विशाल रूप में देखना चाहती है।

उन्होंने कहा, "हम अपने स्टॉक मार्केट में विदेशी पूँजी को देखना चाहते हैं। यह देश के लिए अत्यावश्यक है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। मूल सवाल यह है कि यहाँ किसे बचाया जा रहा है? माधवी पुरी बुच के मामले में ई.डी. खामोश क्यों है?

चक्रवर्ती ने जोर देते हुए कहा, "यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर विदेशी निवेशक चिन्तित हैं तथा मार्केट रेग्यूलेटर के अध्यक्ष पर लगे आरोपों की श्रृंखला के कारण, वे भारत के स्टॉक मार्केट की ईमानदारी के बारे में सन्देहों से भरे हुए हैं, तो क्या जाँच कराया जाना राष्ट्र-हित में नहीं होगा, जिससे इस मामले की जड़ तक पहुँचा जा सके तथा उसका समाधान किया जा सके।

पुराने एम.आर.ई.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी तरह का आदेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं यदि भविष्य में यहां कोई निर्माण होता है तो अदालत के सामने इसकी जानकारी देने पर उस पर विचार किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि मामले में अब तक कोई निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल निरस्त किया जाता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकलपीठ ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर गत 15 मई को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। समाचार में गांधी नगर के पुराने एम.आर.ई.सी. परिसर में मास्टर प्लान के विपरीत बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी। इससे हरित क्षेत्र के प्रभावित होने और आसपास मोर पक्षी होने की बात भी कही थी। अदालत ने कहा कि एकलपीठ का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान आदेश काफी व्यापक स्तर का है। इसके अलावा अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया, जिसे अंतरिम आदेश देने का आधार बनाया जा सके। समाचार में कुछ लोगों के कहने पर आरोप लगाया गया है, जबकि इन आरोपों को किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित नहीं किया गया है।

दूसरी ओर महाधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान में पुराने एम.आर.ई.सी. परिसर में बहुमंजिला बिल्डिंग निर्माण को लेकर कोई स्वीकृत योजना नहीं है। वहीं यदि भविष्य में यहां सरकारी अधिकारियों के आवास के लिए कोई बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव बनाया जाएगा तो उसे विधि अनुसार और मास्टर प्लान के हिसाब से सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि एक समाचार पत्र में गत 14 मई को समाचार प्रकाशित किया गया था कि पुराने एम.आर.ई.सी. परिसर में 18 मंजिल के 6 टावर बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो मास्टर प्लान के विपरीत है। इस समाचार पर एकलपीठ ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए गांधीनगर सहित अन्य संबंधित जगह पर बहुमंजिला निर्माण पर यथा स्थिति के आदेश दिए थे।

सिक्किमः सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 शहीद

पाकयोंग (सिक्किम), 5 सितंबर। सिक्किम के पाकयोंग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सेना के एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 4 जवान शहीद हो गए।

यह हादसा तब हुआ जब सेना का वाहन ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर यात्रा कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के ज़ुलुक जाते समय गुरुवार को सड़क दुर्घटना में कम से कम चार भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई।

यह दुर्घटना सिक्किम के पाकयोंग जिले में सिल्क रूट पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन सड़क से फिसलकर लगभग 700 से 800 फीट नीचे खाई में गिर गया।

बढ़ते ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के कारण होने वाली फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं तथा मलबा गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।"

उदयपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में आरोपी बनाया है। वह कन्हैयालाल की दुकान से कुछ दूरी पर स्थित चूड़ी की दुकान में काम करता है। यदि वह मौके पर रेकी करने जाता तो वहां लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग होती। इसके अलावा, कॉल डिटेल के अनुसार, अपीलार्थी ने किसी को फोन नहीं किया था, बल्कि उसके पास फोन आया था और वह नंबर भी उसके पास सेव नहीं था। इसके अलावा, घटना के एक दिन पहले टी स्टॉल पर बैठकर षडयंत्र करना भी साबित नहीं है। इसका विरोध करते हुए एन.आई.ए. की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी ने घटना के दिन मुख्य आरोपी को फोन कर कन्हैयालाल के दुकान पर होने की बात बताई थी। इसके बाद मुख्य आरोपियों ने आकर घटना को अंजाम दिया था। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। मामले में एन.आई.ए. ने जांच करते हुए रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एन.आई.ए. कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।

पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है। जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण में केवल 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जबकि, राज्य के कोष से इस काम के लिए "236 करोड़ रुपए" लिए गए थे।

पुतिन ने यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता में भारत की भूमिका को अहम बताया

- पुतिन ने भारत के अलावा चीन और ब्राजील का भी नाम लिया और कहा, ये देश वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के प्रबल प्रर्वतक हैं।
- पुतिन ने कहा, वे यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों.. भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' ने पुतिन के हवाले से अपनी खबर में कहा, "हम अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। हम.. मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत, इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को ईमानदारी से सुलझाना चाहते हैं।

मॉस्को, 5 सितंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से साथ जारी युद्ध के बीच मध्यस्थता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत दोनों देशों के बीच बातचीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत के अलावा, चीन और ब्राजील का भी नाम लिया। पुतिन ने कहा कि भारत, चीन, और ब्राजील जैसे देश रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करा सकते हैं। उन्होंने इन देशों को वैश्विक मंच पर स्थिरता और शांति के समर्थक बताते हुए कहा कि उनके माध्यम से संघर्ष को सुलझाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों.. भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' ने पुतिन के हवाले से अपनी खबर में कहा, "हम अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। हम.. मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को ईमानदारी से सुलझाना चाहते हैं। मैं इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता हू।"

रूस के राष्ट्रपति ने यह भी माना कि यूक्रेन की स्थिति जटिल है, और सीधा समाधान खोजना आसान नहीं है। लेकिन, भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों के बीच मध्यमार्गी दृष्टिकोण और वैश्विक कूटनीतिक भूमिका के कारण ये देश मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के पहले सप्ताहों में तुर्कए के इस्तांबुल रूसी और यूक्रेनी पक्ष के बीच वार्ता हुई थी।

मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनी ए.ई.एम. का दौरा किया

- सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग भी मोदी के साथ मौजूद रहे।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11-13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

सिंगापुर, 5 सितंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सिंगापुर की अग्रणी कंपनी एईएम का आज दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने यहां बताया कि मोदी को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एईएम की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और भारत के साथ सहयोग के अवसरों पर जानकारी साझा की। इस क्षेत्र की कई अन्य सिंगापुरी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11-13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के हमारे प्रयासों और इस क्षेत्र में सिंगापुर की ताकत को देखते हुए, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया है। भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक के दौरान, दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ने पर सहमत हुए।

चीन ने चुपचाप, बिना किसी हो हल्ला के डैंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सितारा डूबता-उतरता रहा, क्योंकि, अपने करीबी सहयोगियों को लेकर-माओ के विचार, विश्वास के शक्कीपन के बीच झूलते रहते थे।

राष्ट्रों और देशों के जीवन में, कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने देशवासियों की कई पीढ़ियों को सम्मोहित कर सकते हैं। हिटलर अपने देश को समोहित कर सकता था और उसने कुछ ऐसे अतिक्रूरतापूर्ण काम किए, जिनका जर्मनी जैसा सभ्य राष्ट्र भी विरोध नहीं कर सका। माओ में भी इतना करिशमा रहा होगा कि उनके कुछ अति विचित्र विचारों का भी विरोध नहीं हुआ और सुधार व क्रांति के नाम पर, किसी गुलाम की तरह देश ने उनका विरोध नहीं किया।

अपना स्थान सुदृढ़ करने के बाद, माओ ने बड़ी निर्दयता के साथ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन को विधिपूर्वक संपादित करने में अपनी पूरी सनकी ऊर्जा लगा दी। निरंकुश सत्ता व नियंत्रण हासिल करने के लिए उन्होंने "प्रोलिटेरियन शासन" के अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया और मामूली सा भी विरोध या उसका डर तक पनपने से पहले ही खत्म कर दिया।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माओ ने अपने सबसे विश्वासपात्र सदयोगियो तक को बन्दी बनाया। इनमें डैंग शिपिंग और जाओ एनलाई दोनो शामिल थे।

माओ इतने चतुर थे कि उन्हें पता था कि दोनों का अलग-अलग समय पर क्या महत्व हो सकता था।

माओ ने कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जो नया राज्य बनाया था उसके लिए जाओ बहुत जरूरी थे। माओ ने जाओ को बर्दाशत किया साथ ही साथ वे उनके पर भी कतरते रहे।

डैंग शिपिंग के मामले में माओ ज्यादा ही निष्ठुर थे, माओ को संदेह था कि डैंग उनके विचारों के प्रति निष्ठावान नहीं हैं और इसलिए डैंग और उनके परिवार को काफी कुछ सहना पड़ा। जब डैंग को अपने परिवार की जरूरत थी तब उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया। डैंग के बड़े बेटे को इतना परेशान किया गया कि वह पूछताछ कैम्प से भाग निकला और इतना घायल हो गया कि जीवन भर के लिए अयोग्य हो गया।

माओ ने कई बार डैंग को मजबूर किया कि वे सार्वजनिक मंच से खुद की आलोचना करें लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई बार डैंग की जान बचाई खासकर "गैंग ऑफ फोर" से।

जब माओ को लगा कि उनका अंतिम समय है तो उन्होंने डैंग की बजाय हुआ गुओ के अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा उन्हें पार्टी और मिलैट्री कमेटी का चेयरमैन बना दिया।

लेकिन डैंग की तुलना में हुआ कमज़ोर थे। हालांकि हुआ और उनके विश्वस्तों ने "गैंग ऑफ फोर" को पकड़ लिया था, फिर डैंग को पुनः सत्ता में प्रमुख पद दिया गया क्योंकि सभी वरिष्ठ नेताओं का मत था कि सिर्फ डैंग ही सबको साथ लेकर चल सकते हैं। डैंग ने कम्युनिष्ट पार्टी के दलों को भी भेजा और उन्हें विकसित और पूंजीपति देशों का एक्सपोज़र तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर चीन को दुनिया के लिए खोलने का विचार किया गया। कम्युनिस्ट नेताओं को लगता था कि पूंजीवादी पचिमी देशों का पतन हो रहा है यहां वकर्स को शोषण हो रहा है। वे असंतुष्ट हैं, पर जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा कि यहां श्रमिक चीन की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में है।

उन्होंने यह भी देखा कि पश्चिमी देश चीन के साथ काम करने को तैयार हैं और वो चीन में निवेश करना चाहते हैं। अमेरिका से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अमेरिकन उद्योग चीन में 18 अरब डॉलर्स का निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि चीन को निवेश की अनुमति दे देनी चाहिए। जब यह रिपोर्ट डैंग को दी गई तो उन्होंने कहा "18 अरब डॉलर क्यों, 81 या 181 अरब डॉलर क्यों नहीं।" चीन के लिए यह था देंग का विज़न।

आज शी एक अलग मार्ग पर हैं। वे दुनिया के लिए चीन के खुले दरवाजों की नीति को कमज़ोर कर रहे हैं ओपन मार्केट और ओपन इकोनॉमी में डैंग मॉडल को फॉलो करने के बाद चीन काफी आगे बढ़ा इतना तो डैंग ने भी नहीं सोचा था। आज चीन बहुत ताकतवर है।

चीन की विदेश नीति भी अब बेहद आक्रामक है। जबकि डैंग के समय में चीन का रुख बेहद दोस्ताना था। चीन अब अपने फायदे के लिए विवाद खड़े करता है। इस नए दृष्टिकोण का रिज़ल्ट भी उतना ही अनिश्चित है जितना अनिश्चित चीन देंग के जमाने में थे।

धर्म के नाम पर वन भूमि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की याचिका और शंकर लाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब संबंधित पहाड़ याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं है तो उनकी ओर से किस अधिकार से पहाड़ खोदा गया। याचिकाकर्ता ने आरंभ में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज इस भूमि को आवंटित करने के लिए विभाग में आवेदन किया था, जिससे जाहिर है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि यह गैर मुमकिन पहाड़ है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की याचिका इस आधार पर भी खारिज की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का खुलासा नहीं किया कि मामले में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका लंबित है।

श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि टोंक के दूनी में पहाड़ पर महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की मूर्तियां जमीन के नीचे से निकली हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार यह सैकड़ों साल पुरानी हैं। ऐसे में यह याचिकाकर्ता को दी जाए।

दूसरी तरफ शंकर लाल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि इस धार्मिक स्थल ने वन विभाग की इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। राजस्व रिकॉर्ड में यह गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज है। वन विभाग भी मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करा चुका है और पेनल्टी भी लगा चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600